

संख्या सं. सी. एन-33034/99

REGD. NO. D. L.-3 1004799



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 17, 2001/आश्विन 25, 1923

No. 769]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2001/ASHWINA 25, 1923

कृषि मंत्रालय

( पशुपालन और डेयरी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2001

का. आ. 1043(अ).—पशुपन आयात अधि. 1898 (1898 का 9) के खंड 2 तथा खंड 3 ए की भाषा (1) में उक्त अधिसूचना के अंतर्गत प्रयोग करने हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यादव प्रदत्त अधिसूचना के अंतर्गत प्रयोग करने वाले शब्दों में गड़ही, प्रो. 11-स तथा पंजाबी-सहित सभी समुद्री जीवों के उत्पाद, अंडे तथा अन्य शक्ति लिंग तथा उप-उत्पादों, अंडों और बीजों के आयात को रोकने के लिए जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रयोग करने वाले शब्दों के अंतर्गत आयात पर निरुद्धि के लिए अधिसूचना सं. 655 (अ) के अंतर्गत प्रयोग की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2001

S. O. 1043(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and Section 3 A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby notifies that the word "livestock product" shall cover products, eggs and seeds of all aquatic animals including fish, crustaceans and molluscs and that the import of these products, eggs and seeds will be allowed against a Sanitary Import Permit to be issued by this Department subject to the conditions as mentioned in the Gazette Notification S.O. No. 655(E) published in the Extraordinary Gazette of India, Part II-Sec. 3(ii) on 9th July, 2001

[पत्रिका संख्या 109-6/2001-ट्रेड]

(File No 109-6/2001 Trade)

विश्व मंडल, नई दिल्ली

CHITRA COURIER, N. Secy